संख्या:316/2016/1279/35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:22 सितम्बर,2016

विषय : वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या-254/2015/1028/35-4-2015 दिनांक 14 अगस्त,2015 के द्वारा **कन्नौज नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत नगर में पूर्व में बने आर.सी.सी. पाटा नाले के दोनो ओर सुरक्षात्मक कार्य एवं मो0 अजय पाल घाट से ग्राम जलालपुर अमरा तक कच्चे नाले के पक्कीकरण कार्य** की रू.2206.79 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्तके रूप में रू. 441.35लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, कन्नौजके पत्र संख्या:739/त्व0आ0वि0यो0/डी.एस.टी.ओ./2015-16दिनांक 30 मार्च,2016 द्वारा उक्त कार्य हेतु अवमुक्तधनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्तधनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में रू.1324.07 लाख (रूपये तेरह करोड़ चौबीस लाख सात हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 14 अगस्त,2015 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघरमें नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
5- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष 80 प्रतिशत की सीमा तकधनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
6- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-02-मल जल तथा सफाई-101-शहरी सफाई सेवायें-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जल निकासी कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:316/2016/1279(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / नगर विकास।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त,कानपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम,लखनऊ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।